खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 961/132 रकबा 2.10 बीघा, खसरा नम्बर 959/132 रकवा 2.10 बीघा, खसरा नम्बर 960/132 रकबा 2.10 बीघा, खसरा नम्बर 132/9 रकबा 2.10 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 10 बीघा भूमि स्थित हैं। विवादित आराजी प्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी है। अतः रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के हक में सिद्ध होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः**— आराजी मुतनाजा के रिकॉर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में प्रमाणित है।

3. **अपूर्णनीय क्षतिः**— चूंकि विवादित आराजी वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि है। विवादित भूमि का मूल दावा जो स्थाई निषेधाज्ञा का है, निस्तारण से शेष है। यदि दौराने दावा किसी भी पक्ष द्वारा आराजी को खुर्द—बुर्द किया जाता है तों दोनों ही पक्षों को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है।

उपरोक्त विवेचनानुसार वादग्रस्त आराजी की बाबत दोनों ही पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित रहेगा।

अतः आदेश है किः—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ताफैसला मूल दावा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे वाके ग्राम कानोता स्थित आराजी खसरा नम्बर 962/132 रकबा 3.06 बीघा , खसरा नम्बर 963/132 रकबा 3.07 बीघा एवं खसरा नमबर 132/8 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा में जबरन प्रवेश ना करें, बेचान नहीं करें, ना कोई निर्माण करें एवं दखलंदाजी नहीं करे ना ही दीगर से करावें एवं मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उभयपक्षकारान अपने हिस्से की आराजी को रहन रखने हेतु स्वतंत्र हैं।

यह निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जयपुर ग्रामीण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर ग्रामीण (राज.)
सत्यमेव जयते